मिसिल सं0 बिहार -01/विकास/2006-आर.यू.III

श्री शम्भू नाथ पुत्र स्व0 श्री भागीरथी प्रसाद, ग्राम+पोस्ट+थाना-आन्दर, जिला- सीवान (बिहार) की पैतृक जमीन पर अवैध कब्जा करने संबंधी प्राप्त शिकायत के संबंध में आयोग के माननीय सदस्य, श्री भैरू लाल मीणा के समक्ष दिनांक 19-06-2014 को हुई बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित :-

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(1) श्री भैरू लाल मीणा, सदस्य

(2) श्रीमती के.डी. बंसौर, निदेशक

(3) श्री एच. आर. मीना, वरिष्ठ अन्वेषक

(4) श्री रिछपाल सिंह, परामर्शक

राज्य शासन बिहार

(1) श्री एच.एस. मीना, प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार

(2) श्री आलोक राज, विशेष सचिव (गृह)

(3) श्री संजय कुमार सिंह, जिला मजिस्ट्रेट, सीवान

(4) श्री विवेक कुमार, पुलिस अधीक्षक, सीवान

आवेदक

(1) श्री शम्भू नाथ स्व0 श्री भागीरथी प्रसाद, ग्राम+पोस्ट+थाना-आन्दर, जिला- सीवान (बिहार)

पृष्ठभूमि

1. उपरोक्त लिखित के संदर्भ में आयोग की पहली बैठक माननीय श्री मोरिस कुजुर, उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में दिनांक 18-04-2011 को हुई थी जिसका कार्यवृत्त अनुबंध-I पर है। कार्यवृत्त के संदर्भ में आवेदक आयोग को लगातार अभ्यावेदन भेजता रहा है जिन पर आयोग द्वारा पत्राचार बिहार राज्य शासन के साथ किया जाता रहा है। राज्य शासन से उचित जवाब प्राप्त नहीं होने पर इसी प्रकरण में दूसरी बैठक माननीय सदस्य, श्री भैरू लाल मीणा की अध्यक्षता में दिनांक 19-06-2014 को बिहार सरकार के प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार

5/8/2014
(BHERU LAL MEENA)
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

विभाग के साथ हुई बैठक में चर्चा के दौरान मामले की पहले की स्थिति पेर (पृष्ठभूमि) बात चीत की गयी जो इस प्रकार है-

श्री शम्भू नाथ ने दिनांक 15-12-2006 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को उनकी पैतृक जमीन पर अवैध कब्जा करने के संबंध में उपरोक्त शिकायत पत्र भेजा। आयोग ने पत्र दिनांक 21-12-2006 द्वारा कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सीवान, बिहार से संबंधित मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी। मामले में कलेक्टर को अनुस्मरण पत्र दिनांक 21-02-2007, 20-03-2007 एवं 16-05-2007 भेजे गए। समाहर्ता, सीवान ने पत्र क्रमांक 1097/रा0 दिनांक 28-06-2007 द्वारा अंचल अधिकारी, आन्दर से प्राप्त रिपोर्ट भेजी। उक्त प्राप्त रिपोर्ट को आवेदक श्री शम्भू नाथ को समसंख्यक पत्र दिनांक 16-08-2007 को सूचनार्थ भेजा गया। श्री शम्भू नाथ ने उक्त रिपोर्ट पर खण्डन पत्र दिनांक 26-12-2007 आयोग को भेजा। तदोपरान्त मामले में हुए पत्राचार की प्रतिलिपियाँ व प्राप्त उत्तर से प्रार्थी को समय-समय पर सूचित किया गया। समाहर्ता, सीवान द्वारा उनके पत्र दिनांक 28-06-2008 के द्वारा आयोग को अंचल अधिकारी, आन्दर जिला सीवान एवं दिनांक 23-02-2011 को रिपोर्ट पर प्रार्थी के द्वारा भेजे गए खण्डन पत्रों पर जानकारी भेजी है – जिसमें सूचित किया कि प्रश्नगत खाता नं0 282 सर्वे नं. 1580 रकवा 0-8-1 धुर भूमि राजस्व खतियान में डीह वासगीत खाता के अन्तर्गत परती कदीम करके दर्ज है जिसके 9 कब्जे कालम में जामून 1 वकब्जे राम चन्द्र पाण्डेय 9 सरह व न0 24 एक हिस्सा व राम प्रसाद पाण्डेय को0 वसरल नं0 26 एक हिस्सा भावली को वास कोढ वकब्जे राम चन्द्र पाण्डेय रैयत मजकुर भावली वे पाकड (एफ)1 वकब्जे मथुरा लाल वगै0 वसरह नं0 1576 व बच्चू लाल कौ0 वसरल नं0 1515 व मुस्कान परमेशरा कुपैर कौ0 वसरत नं0 1577च करके दर्ज है।

पंजी II में जानकारी दी कि आवेदक शम्भू नाथ के दादा स्व0 रामउग्रह गोंड के नाम से जमाबंदी सं0 336 खाता सं0 282 रकवा 0-2-13 करके दर्ज था, जिस पर बिना किसी आदेश के रकवा 0-2-13 धुर को काट कर रकवा 0-3-0 (तीन कट्ठा) बनाया गया है जिसकी सरकारी रसीद वर्ष 1961-62 में दिनांक 25-02-62 की रसीद सं0 846648 लगान 0-25 पैसा निर्गत किया गया है। वर्ष 1961-62 के बाद अन्य दूसरा रसीद निर्गत नहीं किया गया है। पंजी II के अवलोकन से यह विदित होता है कि खाता सं0 282 सर्वे नं0 1580 रकवा 0-5-8 धुर लगान 0-25 पैसा जंगनारायण दूबे के नाम से जमाबंदी सं0 337 पूर्व से चलती थी, जिसमें से रकवा 0-2-0 भूमि का दाखिल खारीज विजय बहादुर साह, अक्षयवर साह व प्रदीप साह गोंड के नाम हुआ है जिसका जमाबंदी सं0 659 पंजी II में दर्ज है तथा उसी खाता सं0 में रकवा 0-2-19-15 भूमि का दा0 खा0 वाद सं0 797/89-90 एवं 28/90 के द्वारा श्री रामाशंकर सिंह सा0 जौरा के नाम से किया गया है जिसका जमाबंदी सं0 933 पंजी II में दर्ज है। प्रश्नगत भूमि रकवा 0-2-19-15 में से रामाशंकर सिंह के पुत्रों ने धरमेन्द्र यादव उर्फ टुनटुन यादव

भैरू लाल मीणा / BHERU LAL MEENA
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi
5/8/2014

पिता श्री शिव लगन यादव, ग्राम जमालपुर, थाना आन्दर के नाम से बैनामा कर दिया है और इसी भूमि पर टुनटुन यादव द्वारा गुमटी रखा गया है।

पंजी II में यह भी सूचित किया कि प्रश्नगत भूमि का कुल रकवा 0-8-1 धुर की जमाबंदी पूर्व से ही कायम थी। आवेदक के भाई नन्द कुमार साह का कथन है कि जमाबंदी सं0 339 रकवा 0-3-0 एवं जमाबंदी सं0 94 रकवा 0-3-4 धुर खाता सं0 282 जो रामउग्रह गोंड के नाम पर है, का रसीद निर्गत करने का दबाव किया जा रहा है किन्तु जाँच से स्पष्ट होता है जमाबंदी सं0 339 एवं जमाबंदी 94 रामउग्रह गोंड के नाम पर पंजी II में दर्ज नहीं है। फलस्वरूप हल्का कर्मचारी द्वारा उपरोक्त जमाबंदियों का रसीद आवेदक को निर्गत नहीं किया जा रहा है। आवेदक के दादा रामउग्रह गोंड के नाम पर जमाबंदी सं0 336 रकवा 0-3-0 भूमि पंजी II में दर्ज है जिसमें से आवेदक के चचेरे भाई (हिस्सेदार) द्वारा 0-1-0 भूमि चन्द्रिका तुरहा कौ0 को विक्री किया गया है जिसपर उनका पक्का मकान बना हुआ है।

अंचल अधिकारी, आन्दर, सीवान ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रश्नगत भूमि रकवा 0-3-0 कट्ठा ही रामउग्रह गोंड के परिवारों के बीच बटा हुआ है शेष भूमि 0-5-1 धुर भूमि पर आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य का दखल कब्जा कभी नहीं रहा है और न है। भूमि पर वैदारों का दखल कब्जा है।

1. पत्र सं0 23/2/2011 के अन्तर्गत खण्डन पत्रों पर अंचल अधिकारी, आन्दर, जिला सीवान ने जानकारी दी कि वर्ष 1957 की पंजी-II का अवलोकन किया गया, जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। जिसका पारगमन संभव नहीं है।

2. जमाबन्दी पंजी-II में विवादित भूमि से संबंधित जमाबन्दी सं0-336 खाता सं0 -282 रकबा-3 कट्ठा जमाबन्दी रामउग्रह गोंड के नाम से है तथा इस पर निर्गत लगान रसीद सं0 380930 दिनांक 30-03-1957, रसीद सं0 470792 दिनांक 04-03-1958 एवं रसीद सं0 358770 दिनांक 31-03-1960 अंकित है।

3. वर्ष 1957, 1980 एवं 1961 के रसीद बही के संबंध में सूचित किया है कि कथित वर्ष का निर्गत रसीद बही की कार्यालय प्रति अंचल कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। रसीद सं0 425710 दिनांक 12-10-2007 (आवेदक द्वारा आवेदन में अंकित रसीद सं0 4257710 दिनांक 12-10-2006 गलत है) एवं निर्गत लगान रसीद सं0 029403 दिनांक 29-07-2008 है।

4. श्री जगनारायण दूबे से संबंधित जमाबन्दी सं0 337 (आवेदन में अंकित जमाबन्दी सं0 377 गलत है) श्री विजय बहादुर साह वगैरह के नामधारित जमाबन्दी सं0 659 एवं श्री

भैरू लाल मीणा / BHERU LAL MEENA
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi
5/8/2014